

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवादी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठारीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं०- 34 /2021

जी स्पी एम एस नं० 2021 /96

शिवपाल

वनाम

अंतिम निर्णय

दावा विभाजन

दर्ज दिनांक 09.02.2021

निर्णय दिनांक 23.12.2022


ओमप्रकाश वगै.

यह मुकदमा आज वारंते इन्फिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवादी व हाजिरी उभयपक्षकारान भिनजानिब मुदर्ई वल्द ...
-..भिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-



वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार
उदयपुरवादी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज:-.....निल.....

..... मुबलिक -.....निल..... दाबन:-.....निल.....
.....यवर्दा इस मुकदमे के मय सूद बशरह -.....निल.....
.....फीरवादी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....
.....का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह
12 सन 2022 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी